राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :— 949/2023

संजय भाटी (कर्मचारी आई.डी.— आरजेएजे199706001191)

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.02.2023
आदेश की दिनांक : 27.02.2023

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : अपीलार्थी स्वयं।
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी।

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आलौच्य आदेश दिनांक 30.11.2022 (अनुलग्नक—1) के द्वारा रा.उ.मा.वि. **Deveta**, अजमेर से रा.उ.मा.वि. पहाड़ी भरतपुर में किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी जहां वर्तमान में पदस्थापित है, वहां पर हिन्दी अनिवार्य विषय का व्याख्याता है। जहां पर अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, वहां पर हिन्दी लिट्रेचर का विषय है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना मस्तिष्क के प्रयोग किये किया गया है, जो उचित नहीं है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी की नियुक्ति हिन्दी विषय के पद पर व्याख्याता के रूप में हुई है। हिन्दी विषय में ही भिन्न—भिन्न विद्यालयों में अनिवार्य अथवा लिट्रेचर के रूप में हिन्दी विषय को पढाया जाता है। अपीलार्थी का स्थानांतरण यदि ऐसे विद्यालय में हुआ है जहां हिन्दी लिट्रेचर के विषय पर है तो यह अपीलार्थी की सेवा शर्तों का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी हिन्दी विषय का ही व्याख्याता है।
4. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5. अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर 2016 से कार्यरत है एवं वर्तमान स्थान पर समुचित समय तक अपीलार्थी को पदस्थापित रखे जाने के पश्चात् उसका स्थानांतरण किया गया है। वर्तमान स्थानांतरण में कोई दुर्भावना प्रकट नहीं होती है।
6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर व उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)